भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1379
उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

एससीसीपी के लिए निधियाँ

1379. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनुसूचित जातियों हेतु विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)/अनुसूचित जाति घटक योजना (एससीसीपी) के लिए धनराशि आवंटित और निगरानी किए जाने वाले दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का लगातार पालन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो ऐसे आकलनों के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने डीएपीएससी/एससीसीपी के तहत धनराशि के प्रभावी आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क), (ख) और (ग): नीति आयोग ने वर्ष 2017 में "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (डीएपीएससी और डीएपीएसटी) विकास कार्य योजना'' के लिए निधियां निर्धारित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों की प्रति **अनुबंध-I** में संलग्न है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नीति आयोग के साथ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करता है और संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग की नियमित रूप से निगरानी करता है।

विगत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 39 बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएससी के तहत निधियों के प्रतिशत आवंटन के मूल्यांकन के अनुसार इस प्रकार है:

मद	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
>16.2% निर्धारण राशि	17	17	17
15-16.2% तक निर्धारण राशि	1	2	2
15% से कम निर्धारण राशि	21	20	20
कुल योग	**39**	**39**	**39**

(घ): किसी विधान को पुर:स्थापित करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध-I

भारत सरकार

नीति आयोग

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रभाग)

****

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी और डीएपीएसटी) हेतु निधियां निर्धारित करने संबंधी दिशानिर्देश

पूर्ववर्ती आयोजना प्रणाली को बंद कर दिया गया है और वर्ष 2017-18 से योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का विलय कर दिया गया है। बजटकरण की परिवर्तित प्रणाली संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अपने बजट में निधियां निर्धारित करने की नई व्यवस्था के संबंध में स्पष्टता की जरूरत है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियों का पूर्व में निर्धारण संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके योजनागत आवंटन के प्रति कार्य बल, 2010 द्वारा अनुशंसित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) की व्यापक कार्यनीतियों के अंतर्गत किया जाता था। केन्द्रीय बजट दस्तावेज में संबंधित केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों (सीएस) की तुलना में मंत्रालय/विभाग-वार निर्धारित आवंटन भी दर्शाया गया था। तत्कालीन योजना आयोग द्वारा गठित कार्य बल ने अलग-अलग निर्धारण अर्थात मंत्रालयों/विभागों द्वारा और केवल उनके योजनागत परिव्यय के लिए विभिन्न दरों पर निर्धारण की सिफारिश की थी। परिव्यय के गैर-योजनागत घटकों को उप-योजनाओं के दायरे से बाहर रखा गया था। कार्य बल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियां निर्धारित करने और स्कीमों को लागू करने के लिए यथा अधिदेशित एससीएसपी हेतु 26 मंत्रालयों/विभागों और टीएसपी के लिए 32 मंत्रालयों/विभागों की पहचान की थी।

3. बजटकरण की नई प्रणाली के मद्देनजर, नीति आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निधियों के निर्धारण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के मुद्दे पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था। नीति आयोग की वरिष्ठ प्रबंधन समिति (एसएमसी) ने दिनांक 24.04.2017 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया था। एसएमसी ने श्री रतन पी. वटल, प्रधान सलाहकार, सामाजिक क्षेत्र, नीति आयोग से इस मामले में एसएमसी का मार्गदर्शन करने के लिए कहा। इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिफारिशें प्रधान सलाहकार की अध्यक्षता में आयोजित परामर्श प्रक्रिया (2017) का प्रतिफल है और इससे आगे पूववर्ती कार्य बल 2010 की सिफारिशों के आधार पर डीएपीएससी तथा डीएपीएसटी के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियों के निर्धारण का मार्गदर्शन करेगा, जो संवर्धन तथा

निरंतरता का द्योतक है। निधियों के निर्धारण के संबंध में विचारगत कुछ अन्य मुद्दे इस प्रकार थे:

(i) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन की कार्यनीति मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रहेगी?
(ii) 'नो बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों' के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए थिंक-टैंक के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था की आवश्यकता अथवा नहीं आवश्यकता होगी।
(iv) आवंटन की गैर-परिवर्तनीयता और/अथवा गैर-व्यपगतता सुनिश्चित करने और आयोजना तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन के लिए केंद्रीय विधान की आवश्यकता होगी अथवा नहीं होगी।
(v) निर्धारित आवंटन और विशिष्ट स्कीमों के अलावा, विकास परिणामों में परिलक्षित प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में सबसे असुरक्षित समुदाय समूहों को मुख्यधारा में लाना कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
(vi) सबसे असुरक्षित समुदाय समूहों की आवाज बुलंद करने और सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत क्षमता को कैसे बढ़ाया/सृजित किया जाएगा?
(vii) सामाजिक क्षेत्र के परिणाम की निगरानी के लिए संरचना कैसे तैयार की जाए जो अनेक प्रकार की असुरक्षाओं का समाधान करे और सबसे असुरक्षित लोगों के लिए बाध्यकारी होगी?

4. नीति आयोग में मुद्दों की आंतरिक जांच और समीक्षा के अलावा विभिन्न हितधारकों अर्थात संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोगों और नीति आयोग के समावेश मंच के परामर्श से इन मुद्दों पर विचार किया गया था।

5. परामर्श और मुद्दों की आंतरिक समीक्षा से प्राप्त सुझावों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में निधियों के निर्धारण की नई व्यवस्था और अन्य मुद्दों से संबंधित सिफारिशों का विवरण निम्नलिखित पैरा में दिया गया है।

कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति और दिशानिर्देशों को जारी रखना तथा उन्हें समृद्ध करना

6. जहां तक उप-योजनाओं के कार्यान्वयन की कार्यनीति का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक हितों को बढ़ावा देना एक संवैधानिक अधिदेश है। यह वर्तमान सरकार के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का क्षेत्र भी है। सर्वाधिक असुरक्षित और लाभवंचित समुदाय समूहों - विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की भारत की आजादी के 75 वें वर्ष अर्थात वर्ष 2022 तक नए भारत के आह्वान द्वारा फिर से पुष्टि की गई है। यह भारत को गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता तथा अन्य नकारात्मक पहलुओं से मुक्त करने का आह्वान है। गरीब से गरीब और सर्वाधिक लाभवंचित लोगों तक पहुंचने के लिए अंत्योदय उपागम की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। इसलिए स्कीमों और कार्यक्रमों को पहले की उप-योजनाओं की व्यापक रूपरेखा में लागू किया जाना जारी रहेगा। ***बजट की नई प्रणाली में एससीएसपी और टीएसपी का नाम बदलकर अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) किया जा जा सकता है।***

सीएसएस और सीएस के समग्र आवंटन के लिए निर्धारण न कि मंत्रालयों/विभागों के कुल बजट के प्रति निर्धारण

7. निर्धारण मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों के लिए समग्र आवंटन की तुलना में होना चाहिए न कि स्कीमों के लिए समग्र आवंटन से अधिक संबंधित मंत्रालयों/विभागों के कुल बजट की तुलना में होना चाहिए। तथापि, यदि मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा स्कीमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसे किसी भी कार्यकलाप के लिए बाध्यकारी नहीं हैं अथवा उनके पास गुंजाइश नहीं है, तो मंत्रालयों/विभागों के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके समग्र बजट के भीतर विशिष्ट कार्यकलापों हेतु धन आवंटित करने का लचीलापन होना चाहिए।

संस्तुतियां

8. मंत्रालयों/विभागों की पहचान और डीएपीएससी और डीएपीएसटी की निधियों के निर्धारण के संबंध में तथा योजना के बाद के चरण में मौजूदा दिशानिर्देशों को मजबूत करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की सिफारिश की गई है:

मंत्रालयों की पहचान और निधियों का निर्धारण

(i) निर्धारण मंत्रालय/विभाग की विशिष्ट स्कीमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। मंत्रालय/विभाग के समग्र निर्धारण की गणना इन स्कीमों के कुल आवंटन की तुलना तुलना में की जानी चाहिए न कि मंत्रालय/विभाग के कुल बजट के प्रति। यद्यपि, जहां भी आवश्यक समझा जाता है, विशिष्ट उदाहरणों में कुछ लचीलापन प्रदान जा सकता है, और एक स्कीम के अंतर्गत उपयोग न करने के मामले में, बजट का उपयोग विभाग की अन्य स्कीमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए, लेकिन डीएपीएससी

अथवा डीएपीएसटी के लिए, जैसा भी मामला हो, मंत्रालय और वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से उपयोग किया जाना चाहिए।

(ii) निर्धारित करने का प्रतिशत जनसंख्या अनुपात के 50% से कम अथवा कार्य बल द्वारा तय किए गए अथवा वास्तविक जो भी अधिक हो, से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु उच्च प्रतिशत पर निधि आवंटित करने वाले मंत्रालय/विभाग मौजूदा प्रतिशत को बनाए रखेंगे। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पर लागू नहीं होगा, क्योंकि विभाग को समाज के अन्य कमजोर वर्गों और असुरक्षित समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।

(iii) सभी मंत्रालय/विभाग जो द्वितीय श्रेणी (कार्य बल द्वारा चिन्हित) में आते हैं, अर्थात एससीएसपी के लिए 0-15% और टीएसपी के लिए 0-7.5% की सीमा में निधियों को डीएपीएससी के लिए कम से कम 8.3% और डीएपीएसटी के लिए 4.3% (2011 की जनगणना के अनुसार) निर्धारित करना चाहिए।

(iv) मंत्रालय/विभाग जो वर्तमान में केवल अनुसूचित जातियों के लिए निधियां निर्धारित कर रहे हैं, उन्हें, नोडल मंत्रालयों को छोड़कर, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी निधियां निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पशुपालन और वाणिज्य विभाग को भी डीएपीएसटी के लिए निधियां निर्धारित करनी चाहिए। कृषि अनुसंधान, कोयला, दूरसंचार, जल संसाधन आदि विभाग जो डीएपीएसटी में हैं, उन्हें डीएपीएससी के लिए निधियां निर्धारित करनी चाहिए। निर्धारित करने का न्यूनतम प्रतिशत उपर्युक्त पैरा (i) और (iii) की सूचना के अनुसार होना चाहिए।

(v) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीपीडब्ल्यूडी) जैसे मंत्रालयों/विभागों ने वर्ष 2017-18 में एसटी के लिए क्रमशः 27.18%, 8.14% और 10.17% की दर से निधियों का निर्धारण किया है। ये मंत्रालय/विभाग ज्यादातर लाभार्थी उन्मुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं और इसलिए इन्हें 'बाध्यकारी' श्रेणी में लाया जाना चाहिए।

(vi) मंत्रालय/विभाग जिनका देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन डीएपीएससी और डीएपीएसटी के दायरे अर्थात (क) उर्वरक विभाग, (ख) औषध विभाग, (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, (घ) उपभोक्ता कार्य विभाग, (ङ.) शहरी विकास मंत्रालय और (च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से बाहर रहते हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या अनुपात के कम से कम 50% की सीमा तक निधियां निर्धारित करनी चाहिए।

(vii) मंत्रालय/विभाग जो 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में निधियां निर्धारित कर रहे हैं

अथवा उसके करीब हैं, ताकि उन्हें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में निधियां निर्धारित करनी चाहिए।

(viii) जहां तक नोडल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का संबंध है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्य बल की सिफारिश के अनुसार 72.5% निधियां निर्धारित करने का वर्तमान स्तर जारी रहना चाहिए। यद्यपि, इसके अलावा, अनुसूचित जाति समुदायों को अन्य असुरक्षित वर्गों जैसे वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, निराश्रितों, ड्रग के पीड़ितों, आदि के लिए कार्यान्वित स्कीमों से भी लाभान्वित होना चाहिए। अनेक असुरक्षा के मुद्दों का भी उचित रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

(ix) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष रूप से लाभार्थी उन्मुखी स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत आवंटन का राज्यवार वितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु जनसंख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए।

(x) कुछ मंत्रालयों/विभागों जैसे उर्वरक विभाग, दूरसंचार विभाग, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आदि जिनके पास अनुसूचित जातियों और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई स्कीम नहीं होती है, उन्हें एक अलग धनराशि रखनी चाहिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता नोडल मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करके नए और केंद्रित इंटरवेंशन विकसित करने चाहिए तथा उपर्युक्त स्कीमों/कार्यकलापों के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्यक्ष लाभ हेतु ऐसे आवंटन का उपयोग कैसे हो इसके लिए नोडल मंत्रालयों को समन्वय करना चाहिए।

गैर-व्यपगतता और गैर-परिवर्तनीयता

(xi) भारत में नकदी आधारित बजट प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। इसे देखते हुए गैर-व्यपगतता परिपाटी का पालन करना संभव नहीं है। 'बजट शीर्ष' के आधार पर निधियों के आवंटन के कारण गैर-परिवर्तनीयता का मुद्दा पहले से ही प्रणाली में अंतर्निमित है। यद्यपि, बजट शीर्ष के भीतर निधि के परिवर्तन की अनुमति उपर्युक्त पैरा (ii) में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी। इस संबंध में किसी अन्य स्पष्टीकरण की व्यय विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान

(xii) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के पैटर्न पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रत्येक के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की जानी

चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रत्येक के लिए थिंक टैंक और संसाधन केंद्र के रूप में काम किया जा सके। अनुसूचित जातियों के लिए, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अथवा इसके अवसंरचना को राष्ट्रीय संस्थान के रूप उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है। अनुसूचित जाति हेतु, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) को परिवर्तित किया जा सकता है अथवा एनईआईएलआरडी की अवसंरचना का उपयोग किया जा सकता है।

(xiii) राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े राज्यों को भी ऐसे संस्थान राज्य स्तर और उत्तरोत्तर जिला स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिला स्तर के संस्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में जमीनी स्तर पर उपर्युक्त परियोजनाओं/स्कीमों के निर्माण हेतु विशिष्ट सूचना प्रदान करने के लिए विशेष रूप से काम कर सकते हैं। यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुसार राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए संसाधनों के सर्वाधिक अंतरण के संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

उपबंधों को कार्य सक्षम करना

(xiv) संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में सर्वाधिक असुरक्षित समुदाय समूहों को मुख्य धारां में शामिल किया जाए, जैसा कि निर्धारित आवंटन और विशिष्ट स्कीमों के अलावा विकास के परिणामों में परिलक्षित होता है।

(xv) संबंधित मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आवंटन के बेहतर उपयोग, प्रभावशीलता, दक्षता और सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत क्षमता को सक्षम बनाना और उसे बढ़ावा देना चाहिए। इसमें संस्थागत तंत्र आदि में प्रतिनिधित्व को सक्षम करना शामिल है।

(xvi) सामाजिक समावेशन पर राज्यों और जिलों के कार्य प्रदर्शन को उत्तरोत्तर मान्यता दी जानी चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(xvii) संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/जिला संदर्भ के लिए विशिष्ट रूप से बहुक्षेत्रीय प्रकृति के अभिसरण इंटरवेंशनों के माध्यम से अनेक असुरक्षाओं का समाधान करना चाहिए।

(xviii) संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालयों के लिए नवीन विचारों के साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभव के आधार पर नए इंटरवेंशनों को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिन्हें पहले गैर-अनिवार्य माना जाता था।

निगरानी और मूल्यांकन

(xix) डीएपीएससी और डीएपीएसटी की निगरानी अनिवार्य रूप से एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होना चाहिए। निगरानी उत्पादन और परिणाम दोनों पर आधारित और डैशबोर्ड के माध्यम से होनी चाहिए। नोडल मंत्रालय अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय 31 जनवरी, 2017 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 1/21/26/2016-मंत्रिमंडल के अंतर्गत कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन के अनुसार निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।

(xx) निगरानी पहल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विधवाओं अथवा महिलाओं अथवा दिव्यांगजनों, विशेष रूप से, असुरक्षित जनजातीय समूह (पीवीटीजी); निराश्रित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बच्चे आदि जैसे अनेक तरह से असुरक्षित लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

(xxi) डीएपीएससी और डीएपीएसटी के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर अपनाए गए सामाजिक क्षेत्र निगरानी ढांचे को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहल परिणाम निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर भी अपनाया जाना चाहिए।

(xxii) सामाजिक क्षेत्र निगरानी ढांचे में क्षेत्र आधारित परिणाम निगरानी के लिए पूरक दृष्टिकोण के रूप में संबंधित मंत्रालयों और राष्ट्रीय आयोगों द्वारा प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के मौजूदा आम समीक्षा मिशनों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने से संबंधित चिंताओं का एकीकरण शामिल होना चाहिए। (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रारंभिक शिक्षा, डब्ल्यूसीडी/आईसीडीएस और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य समीक्षा मिशनों का उपयोग कर रहे हैं)

9. संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा **डीएपीएससी और डीएपीएसटी** के लिए निधियां निर्धारित करने से संबंधित प्रस्तावित मानदंड का विवरण **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है।

11. नीति आयोग की भूमिका

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय के लिए नोडल मंत्रालयों को भी जिम्मेदार होना चाहिए। नीति आयोग को, नोडल मंत्रालयों के परामर्श से, चिन्हित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियों का निर्धारण सुनिश्चित करना चाहिए और समय-समय पर उनके कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए।

(ii) नीति आयोग डीएपीएससी और डीएपीएसटी के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। नोडल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को भी डीएपीएससी और डीएपीएसटी की समग्र कार्यनीतियों के अनुसार अपनी स्कीमों का मूल्यांकन करना चाहिए।

0-0-0-0

अनुबंध-I

श्रेणी क: बाध्यकारी मंत्रालय/विभाग

मंत्रालय/विभाग-वार मौजूदा निर्धारण और निर्धारण का प्रस्तावित प्रतिशत

डीएपीएससी (जनगणना 2011)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	निर्धारण का मौजूदा प्रतिशत	2017-18 में वास्तविक निर्धारण का %	डीएपीएससी के लिए निर्धारण हेतु प्रस्तावित %*
1	कृषि एवं सहकारिता	16.20	16.13	16.60
2	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन	16.20	16.18	16.60
3	आयुष	5.00	14.02	8.30
4	वाणिज्य	4.50	1.07	8.30
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	2.00	2.01	8.30
6	पेयजल आपूर्ति	22.00	22.00	22.00
7	सूचना प्रौद्योगिकी	2.00	1.39	8.30
8	पर्यावरण और वन	2.20	2.01	8.30
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	15.20	15.90	16.60
10	आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन	22.50	22.42	22.50
11	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	20.00	21.74	20.00
12	उच्चतर शिक्षा	15.00	53.44	16.60
13	श्रम और रोजगार	16.20	16.45	16.60
14	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	12.00	11.39	16.60
15	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	3.50	3.48	8.30
16	पंचायती राज	16.20	15.78	16.60
17	ऊर्जा	8.30	9.29	16.60
18	ग्रामीण विकास	25.00	8.07	25.00
19	भूमि संसाधन	16.20	15.44	16.60
20	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2.50	4.35	8.30
21	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	72.50	79.27	72.50
22	वस्त्र	5.00	2.80	16.60
23	महिला एवं बाल विकास	20.00	16.91	20.00
24	युवा कार्यक्रम और खेल	16.20	25.28	25.28

#डीएपीएससी के लिए निर्धारण का प्रतिशत अधिक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल सीएस और

सीएसएस शामिल हैं।

डीएपीएसटी (2011 जनगणना)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	निर्धारण का मौजूदा प्रतिशत	2017-18 में वास्तविक निर्धारण का %	डीएपीएससी के लिए निर्धारण हेतु प्रस्तावित %*
1	कृषि एवं सहकारिता	8.00	7.97	8.60
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3.60	3.46	4.30
3	आयुष	2.00	4.03	4.30
4	कोयला मंत्रालय	8.20	4.49	8.60
5	दूरसंचार विभाग	0.25	0.26	4.30
6	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	1.40	0.00	4.30
7	संस्कृति मंत्रालय	2.00	4.80	4.30
8	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	10.00	10.00	10.00
9	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	6.70	4.67	6.70
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8.20	8.58	8.60
11	आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन	2.40	2.39	4.30
12	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	10.70	12.49	10.70
13	उच्चतर शिक्षा	7.50	26.73	8.60
14	श्रम और रोजगार	8.20	8.33	8.60
15	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	8.20	7.73	8.60
16	खान मंत्रालय	4.00	0.00	4.30
17	पंचायती राज	8.20	8.09	8.60
18	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3.50	0.62	4.30
19	ग्रामीण विकास	17.50	5.63	17.50
20	भूमि संसाधन	10.00	9.78	10.00
21	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	2.50	4.35	4.30
22	वस्त्र	1.20	1.04	8.60

23	पर्यटन मंत्रालय	2.50	2.54	4.30
24	जनजातीय कार्य मंत्रालय	100.00	139.47	100.00
25	डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर मंत्रालय	0.73	0.83	8.60
26	महिला एवं बाल विकास	8.20	6.50	8.60
27	युवा कार्यक्रम और खेल	8.20	13.26	8.60

* जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए निर्धारित प्रतिशत अधिक है, क्योंकि मंत्रालय का कुल आबंटन अर्थात **29** करोड़ रुपये के सचिवालय व्यय को छोड़कर **5300** करोड़ रुपये डीएपीएसटी के लिए आबंटन है, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल सीएसएस और सीएस (**3800** करोड़ रुपये) शामिल हैं।

डीएपीएसटी के लिए निर्धारित प्रतिशत अधिक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल सीएस और सीएसएस शामिल हैं।

<u>श्रेणी ख: वर्ष 2017-18 में आवंटन परन्तु गैर-बाध्यकारी मंत्रालय/विभाग</u>

<u>डीएपीएससी</u>

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	निर्धारण का मौजूदा प्रतिशत	2017-18 में वास्तविक निर्धारण का %	डीएपीएससी के लिए निर्धारण हेतु प्रस्तावित %*
1	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	0.00	20.25	20.25
2	कौशल विकास और उद्यमिता	0.00	16.09	16.60

<u>डीएपीएसटी</u>

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	निर्धारण का मौजूदा प्रतिशत	2017-18 में वास्तविक निर्धारण का %	डीएपीएससी के लिए निर्धारण हेतु प्रस्तावित %*
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	0.00	27.18	27.18
2	पर्यावरण और वन	0.00	0.29	8.60
3	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	0.00	1.74	8.60
4	कौशल विकास और उद्यमिता	0.00	8.14	8.60
5	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	0.00	10.17	10.17

श्रेणी ग: मंत्रालय/विभाग जो डीएपीएससी अथवा डीएपीएसटी के लिए निर्धारण कर रहे हैं

जो मंत्रालय/विभाग डीएपीएसटी के लिए निर्धारण कर रहे, उन्हें डीएपीएससी के लिए निर्धारण करना चाहिए।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	डीएपीएसटी के लिए निर्धारण का मौजूदा %	डीएपीएससी को निर्धारण हेतु प्रस्तावित %*
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3.46	8.30
2	कोयला मंत्रालय	4.49	8.30
3	दूरसंचार विभाग	0.26	8.30
4	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	0.00	8.30
5	संस्कृति मंत्रालय	4.30	8.30
6	खान मंत्रालय	0.00	8.30
7	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	0.62	8.30
8	पर्यटन मंत्रालय	2.54	8.30
9	डब्ल्यूआर, आरडी और जीआर मंत्रालय	0.83	8.30

*जनसंख्या अनुपात का न्यूनतम 50% (8.30%)

जो मंत्रालय/विभाग डीएपीएसटी के लिए निर्धारण कर रहे, उन्हें डीएपीएससी के लिए निर्धारण करना चाहिए।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	डीएपीएससी को निर्धारण हेतु प्रस्तावित %	डीएपीएसटी के लिए निर्धारण का मौजूदा %
1	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन	16.18	8.60#
2	वाणिज्य	1.07	4.30
3	ऊर्जा मंत्रालय	9.29	8.60#

#ये मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं, वे जनसंख्या के अनुपात में बाध्य हैं (एसटी-8.60%)

<u>श्रेणी घ: गैर-बाध्यकारी मंत्रालय/विभाग</u>

नए मंत्रालय/विभाग जो डीएपीएससी और डीएपीएसटी को कार्यान्वित करने हेतु बाध्यकारी हैं:-

क्र.सं.	**मंत्रालय/विभाग**	**मौजूदा**	**डीएपीएससी के लिए प्रस्तावित %***	**डीएपीएसटी के लिए प्रस्तावित %***
1	उर्वरक विभाग	00	8.30	4.30
2	औषध विभाग	00	8.30	4.30
3	उपभोक्ता मामले विभाग	00	8.30	4.30
4	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	00	8.30	4.30
5	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	00	8.30	4.30
6	शहरी विकास मंत्रालय	00	8.30	4.30

*जनसंख्या अनुपात का कम से कम 50% (अनुसूचित जाति 8.30% और अनुसूचित जनजाति 4.30%)

*****